न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

मंगल मुण्डा बनाम सोमरा बोरा महली

क्र० / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	अभिलेख सं0–एम 146 / 2017 धारा–107 द0प्र0सं0 थाना प्रभारी बुण्डू के अप्राथमिकी सं0– 38/17 दिनांक– 12-10-17 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि बुण्डू थाना कॉड सं० 48/17 दिनांक 28/8/17 धारा 324 भा० द०वि० को लेकर उभय पक्ष मे तनाव है। जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष / विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी। अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष / द्वितीय पक्ष के विरूद्ध द0प्र0सं0 की धारा–107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष / द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू0 का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय। अभिलेख तिथि 24-11-17 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। 6/11/17 कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।	
24-11-17 08-12-17	पीठासीन पदाधिकारी अन्य कार्य मे व्यस्त। दिनांक 23-12-17 को रखे।	

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तरीख सहित
14-10-19	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष लगातार अनुपस्थित। उभय पक्ष जवाब दाखिल करें दिनांक 08-11-19 को रखें। 14/10/19	
08-11-19	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। उभय पक्ष जवाब दाखिल करें दिनांक 25-11-19 को रखें।	
25-11-19	~~अभि~~ उभय पक्ष अनुपस्थित। कार्यपालक दण्डा० निर्वाचन कार्य में व्यस्त दिनांक 09-12-19 को रखें।	
09-12-19	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। उक्त वाद में 6 (छः) माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है अर्थात वाद कालबाधित हो गया है अतः वाद में अभिलेख की कार्रवाई बन्द की जाती है। 9/12/2019 कार्यपालक दण्डाधिकारी बन्दु 9/12 कार्यपालक दण्डाधिकारी बन्दु	